मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-1/419 /372 भोपाल, दिनांक 05/04/2022

// आदेश //

उप संचालक आंचिलक कार्यालय जबलपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/ बी-1/21-22/4413 दिनांक 17.01.2022 के आधार पर श्री प्रकाश मार्को, मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति कटनी के सचिव पद के प्रभार में रहते हुए लंबित विधानसभा आश्वासनों, संदर्भ समिति के प्रकरणों, विभागीय जॉच/शिकायत जॉच प्रकरणों, लगभग 2226 लंबित व्यापारिक लेखा सत्यापन कार्य, बोहरीबंद में नवीन मंडी की स्थापना, भू- राजस्व की 1.08 करोड राशि की वसूली, लगभग 13.00 करोड के निराश्रित शुल्क की वसूली तथा अन्य महत्वपूर्ण समय-सीमा के कार्यो के प्रति संवदेनशील एवं गंभीरता से कार्य न कर लापरवाही एवं उदासनीता के कारण आये दिन कार्यो में विलंब एवं निर्देशों की अवहेलना किया जाना परिलक्षित होने तथा मंडी समिति के प्रशासनिक कार्यो में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, तथा वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशों एवं निर्देशों की जानबूझकर अवेहलना करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-1/419/244-245 दिनांक 02.03.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। श्री प्रकाश मार्को, मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नही पाये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री प्रकाश मार्को, मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति कटनी जिला कटनी का मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय रीवा रहेगा। निलंबन अवधि में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 36 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी जिसका मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय रीवा के प्रति माह 05 तारीख तक प्रमाणीकरण के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति कटनी से भुगतान देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

5.4.22

(एस.बी.सिंह)

अपर संचालक (कार्मिक)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-1/419 /373 भोपाल, दिनांक 05/04/2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1 विशेष सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

2- अपर संचालक (वि.जाच) मंडी बोर्ड मुख्यालय नियत समयावधि मे आरोप पत्रादि जारी करें।

3- अपर संचालक (नियमन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

4- उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर की ओर भेजकर लेख है कि श्री प्रकाश मार्को, मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति कटनी जिला कटनी के विरूद्ध 15 दिवस में आरोप पत्रादि का प्रारूप तैयार कर अपर संचालक (वि.जां.) मंडी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें साथ ही इनके कार्यकाल की जॉच कर प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करावें।

5- उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय रीवा।

6- भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कटनी जिला कटनी।

7- श्री प्रकाश मार्को, मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति कटनी जिला कटनी की ओर पालनार्थ।

8- आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गो.च./विभागीय जॉच/कम्प्यूटर शाखा/मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

5.4.22

अपर संचालक (कार्मिक)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल